

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/
तक. 114-009/2003/20-01-03.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 मार्च 2008—फाल्गुन 24, शक 1929

लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 मार्च 2008

अधिसूचना

क्रमांक 2098/399/2008 /19/तकनीकी. — पथकर अधिनियम (क्र. 8 सन् 1851) तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य को लागू है, कि धारा 2 सहपठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 23-10/97/जी/19, भोपाल, दिनांक 29-6-1998 को अतिष्ठित करते हुए, एतद्वारा राजनांदगांव जिला में चौकी मोहला मानपुर मार्ग के कि. मी. 53/4-6 पर स्थित शिवनाथ पुल पर पथकर की वसूली, दिनांक 01-04-2008 से विखण्डित करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल राय, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 12 मार्च 2008

क्रमांक 2099/399/2008/19/तकनीकी. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12-03-08 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल राय, विशेष सचिव.

Raipur, the 12th March 2008

NOTIFICATION

No. 2098/399/2008/19/T.— In exercise of the powers conferred by section 2 read with section 4 of Tolls Act (VIII of 1851) and its application to the State of Chhattisgarh, the State Government in Supersession of department notification No F. 23-10/97/G/19, Bhopal, Date 29-6-1998 hereby revokes the levy of Tolls on Chouki Mohla Manpur Road in Km 53/4-6 of Shivnath bridge in Rajnandgaon District with effect from 01-04-2008.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANIL RAI, Special Secretary.